Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA

[Service Appeal No.- 18/2024]

Shiv Narayan Jha .....Appeallant/Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Ors. .....Respondent.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	22.9.2025	**आदेश** यह अपील वाद जिला दण्डाधिकारी -सह- समाहर्त्ता, किशनगंज के आदेश ज्ञापांक-589/जि.स्था. दिनांक-05.7.2024 के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षी की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है। दिनांक-12.9.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी जिला पदाधिकारी का जवाब Statement of facts में अंकित है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों - वाद पत्र, Statement of facts आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि जिला दण्डाधिकारी -सह- समाहर्त्ता, किशनगंज के आदेश ज्ञापांक-589/जि.स्था. दिनांक-05.7.2024 के द्वारा अपीलार्थी श्री शिव नारायण झा, तत्कालीन नाजीर, प्रखंड कार्यालय, ठाकुरगंज सम्प्रति सेवा निवृत्त, उ.व.लि., अनुमंडल कार्यालय, किशनगंज के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी श्री शिवनारायण झा द्वारा गबन की गई राशि मो0 6,62,544/- (छः लाख बासठ हजार पांच सौ चौवालीस) रू0 उनके मासिक पेंशन में से 50 प्रतिशत राशि की कटौती 40 किस्तों तक करने का दण्ड अधिरोपित किया गया है। इस मामले में उल्लेखनीय है कि पूर्व में निर्गत दण्डादेश ज्ञापांक-133/जि.स्था. दिनांक-21.03.2022 के विरूद्ध अपीलार्थी की ओर से इस न्यायालय में Service अपील वाद-16/2022 दायर किया गया था। जिसमें दिनांक-03.11.2022 को पारित आदेश के द्वारा निम्न न्यायालय को मामले को पुनर्सुनवाई हेतु Remand back किया गया था। तथा यह आदेश दिया गया कि अपीलार्थी से द्वितीय कारण पृच्छा पुछकर एवं उन्हें अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर देकर तथा प्राप्त कागजातों, तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर समीक्षोपरांत राज्य सरकार को हुई आर्थिक क्षति के अनुपात में पेंशन कटौती के संबंध में नियमानुसार एक सारगर्भित, तथ्यपरक एवं मुखर आदेश (Speaking order) पारित करेंगे। तदनुसार अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए जिला दण्डाधिकारी-सह- समाहर्त्ता, किशनगंज के स्तर से आदेश ज्ञापांक-589/जि.स्था. दिनांक-05.7.2024 द्वारा उपरोक्त दण्डादेश अपीलार्थी के विरूद्ध पारित किया गया है। जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील दायर किया गया है। जिला दण्डाधिकारी-सह-समाहर्त्ता, किशनगंज के अपीलाधीन आदेश ज्ञापांक-589/जि.स्था. दिनांक-05.7.2024 में यह अंकित है कि अपीलार्थी श्री शिवनारायण झा से कार्यालय पत्रांक 228/जि.स्था. दिनांक-25.3.2023 द्वारा द्वितीय कारण-पृच्छा की गई। द्वितीय कारण-पृच्छा के क्रम में उनके द्वारा कोई भी ऐसा सारगर्भित तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप को अप्रमाणित करता हो। साथ ही जिला दण्डाधिकारी-सह-समाहर्त्ता, किशनगंज के पत्रांक-844/जि.स्था. दिनांक-03.10.2024 द्वारा दाखिल जवाब में अंकित है कि "उक्त आदेश के अनुपालन में अपीलकर्त्ता श्री शिवनारायण	

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया

1.

22.9.2025

झा से इस कार्यालय पत्रांक 228, दिनांक-25.03.2023 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी, परन्तु श्री झा के द्वारा कोई भी ऐसा सारगर्भित तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जो उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप को अप्रमाणित करता हो तदोपरांत भवदीय आदेश दि-03.11.2022 के अनुपालन में सम्यक विचारोपरांत अधोहस्ताक्षरी के आदेश ज्ञापांक-589 दि-05.7.2024 के द्वारा अपीलकर्ता के पेंशन कटौती के संबंध में नियमानुकूल निर्णय लिया गया।"

आरोप के बिन्दुओं पर दिनांक-12.9.2025 के अंतिम बहस में विस्तृत सुनवाई की गई। कागजातों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अपील वाद सं.-16/2022 में दिनांक-03.11.2022 को पारित आदेश का अनुपालन करते हुए जिला दण्डाधिकारी -सह-समाहर्त्ता, किशनगंज के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरान्त तथा अपीलार्थी के पक्ष को सुनकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन ओदशों तथा विभागीय कार्यवाही के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकनोपरान्त अपीलार्थी श्री शिवनारायण झा के विरूद्ध प्रश्नगत सरकारी राशि के गबन का मामला साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित होता है। अपीलार्थी की ओर से सुनवाई में सरकारी राशि के गबन के प्रमाणित आरोपों को Negate करने हेतु कोई Admissible Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है। साक्ष्यों के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध सरकारी राशि के गबन का मामला बनता है। जो अत्यन्त ही गंभीर प्रकृति का प्रमाणित आरोप है। वर्तमान सुनवाई में अपीलार्थी की ओर से काई नया तथ्य अथवा साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया जा सका है।

सरकारी राशि के गबन के प्रमाणित आरोपों के सापेक्ष अनुशासनिक प्राधिकार (निम्न न्यायालय) के स्तर से संगत तथ्यों एवं साक्ष्यों की विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर नियमानुसार एवं यथोचित दण्ड अधिरोपित किया गया है। जो विधिसम्मत है।

अतः इस अपील वाद को खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति LCR के साथ संबंधित पदाधिकारी को भेजें।

Sd/- 22/9/2025.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया

लेखापित एवं शुद्धित।

Sd/- 22/9/2025.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

आयुक्त न्यायालय
पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया